

13/02/19

जावजी पेश हुरी उभयपक्ष अधिवक्ता अनुष
पक्षी व उनके नियुक्त अधिवक्ता को
कितनी ही मरुती जावाने लगये जाने
के उपरान्त श्री रूपे पक्षी व उनके कोरे
पैय प्रतिनिधि पेशी कसे हाजिर नही आये,
पिताजा पक्षी प्राथमिक पक्षी की अदम
हाजरी, अदम देरवी मे खारिज विधे जाने
की आवा पारित की जाती है
फावती नुबत से रुम की आवा दारिज
पक्षी है।

उपखण्ड अधिकार:
शुलियाकली (भीलवादा) राज.